राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 20/2017
मदनलाल शर्मा

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक/आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक, सवाईमाधोपुर, राज.।
4. संयुक्त निदेशक, राजस्थान सरकार, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफैयर विभाग, रिजनल ऑफिस, भरतपुर।
5. उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, भरतपुर डिविजन, भरतपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 16.05.2024

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री डी.पी. शर्मा, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी ने आदेश दिनांक 30.11.2016 (अनुलग्नक–2) को चुनौती दी है, जिसमें अपीलार्थी की दिनांक 01.07.2008 से 27 वर्षीय एसीपी रुपये 4800/– ग्रेड पे गलत मानते हुए अधिक भुगतान की वसुली जमा कराने के आदेश दिये गये थे। अपीलार्थी ने अपनी अपील में निम्न प्रकार से प्रार्थना की है:–

> " It is, therefore, most respectfully prayed that this Hon'ble Tribunal may graciously be pleased to accept this appeal and the order dated 30-11-2016 (Annexure-2) may be quashed and set aside and respondents may be directed to provided the all consequential benefits and the respondents may be further directed to provide the pension with interest @24% per annum to the appellant.
>
> Any other order or directions, which this Hon'ble Tribunal deems fit and proper may also be passed in favour of the appellant. "

2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थी के रिकवरी आदेश को निरस्त कर दिया गया है एवं प्रकरण में पुनः संशोधन करते हुए पेंशन प्रकरण को 5400/– ग्रेड–पे के

आधार पर स्वीकृत किया गया है और पीपीओ, जीपीओ आदेश भी जारी किये जा चुके हैं।

3. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपील प्रस्तुत किये जाने के पश्चात रिकवरी का आदेश निरस्त किया जा चुका है। इस प्रकार अपीलार्थी अब रिकवरी के संबंध में कोई अनुतोष नहीं चाहता है। अपीलार्थी की प्रार्थना अब केवलमात्र इस हद तक है कि अपीलार्थी को पेंशन एवं ग्रेचुटी के भुगतान का आदेश उसकी सेवानिवृत्ति के पश्चात देरी से जारी किये गये हैं, उस पर अपीलार्थी नियमानुसार ब्याज दिलाया जाए।
4. हमनें दोनों पक्षों के अधिवक्तागण द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया। इस प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलार्थी दिनांक 31.07.2016 को सेवानिवृत्त हो गया था। इसके पश्चात अपीलार्थी को पेंशन पीपीओ एवं जीपीओ आदेश दिनांक 22.03.2017 को जारी किये गये हैं। इस प्रकार अपीलार्थी को सेवानिवृत्ति लाभ दिये जाने में करीब 7 माह से अधिक समय की देरी की गई है। हम यह भी पाते हैं कि अपीलार्थी को सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान देरी से किये जाने में अपीलार्थी की कोई गलती नहीं रही है। अतः अपीलार्थी समस्त सेवानिवृत्ति लाभ के भुगतान में हुई देरी के लिए अपीलार्थी राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 89 के तहत ब्याज राशि प्राप्त करने का अधिकारी है।
5. उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रत्यर्थी विभाग को यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी को समस्त सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान में हुई देरी के लिए अपीलार्थी को राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 89 के तहत ब्याज का भुगतान किया जाये।
6. उपरोक्त आदेश की पालना 4 माह में सुनिश्चित की जाये।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)